भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 45**

जिसका उत्तर 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया गया

**ऋण चूककर्ताओं के लिए विशेष अवसर**

45. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी: श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण:
श्री श्रीधर कोटागिरी: श्री कुरूवा गोरांतला माधव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड महामारी से उत्पन्न दीर्घकालिक आर्थिक दबाव के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा (प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फोर रिजॉल्युशन आफ स्ट्रेस्ड एसेट्स) के अंतर्गत चूक करने वाले ऋणकर्ताओं के समाधान हेतु एक विशेष अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रूपरेखा के तहत समाधान हेतु 25 करोड़ रुपए से कम के एमएसएमई ऋणों, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋणों, वित्त सेवा प्रदाताओं और केन्द्र और राज्य सरकारों को इस रूपरेखा से बाहर रखने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

**(क) और (ख):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने समाधान संरचना पर दिनांक 6.8.2020 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए 7.6.2019 की विवेकपूर्ण संरचना के तहत एक सुविधा प्रदान की गई है ताकि उधारदाता स्वामित्व में परिवर्तन के बिना उन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए व्यक्तिगत ऋणों और पात्र कारपोरेट एक्सपोजर के संबंध में एक समाधान योजना को कार्यान्वित किया जा सके।

**(ग):** आरबीआई ने सूचित किया है कि दिनांक 1.3.2020 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रुपए तक के कुल एक्सपोजर वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर आरबीआई के दिनांक 6.8.2020 के एक अन्य परिपत्र द्वारा कवर किया गया है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि वित्तीय संस्थान आरबीआई और केन्द्र सरकार, दोनों द्वारा लागू किए गए चलनिधि एवं पुनर्वित्त उपायों के तहत कवर किया गया है तथा कोविड-19 महामारी के कारण चलनिधि समस्या का सामना कर रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आरबीआई द्वारा उनके चलनिधि प्रबंधन हेतु विशेष चलनिधि सुविधाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अपने घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए रेपो दर पर कुल 50,000 करोड़ रुपए की राशि की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की है। केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंध में, आरबीआई ने सूचित किया है कि ये कराधान (टैक्सेशन) की शक्ति वाले वित्तीय प्राधिकरण हैं और उनके ऋण की पुनर्संरचना संबंधित सरकारों द्वारा की गई चूक के समान होगी।

*****